भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2340

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025
24 अग्रहायण, 1947 (शक)

खेल निकायों की संपरीक्षा

2340. श्रीमती माला राय:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) आदि जैसे बड़े खेल निकायों का उचित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण लेने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में उक्त बड़े खेल निकायों की संपरीक्षा कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/ न्यास अधिनियम/ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक निकाय हैं। सरकार भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (खेल संहिता) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान करती है और इसके बाद समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करती है। इस खेल संहिता में राष्ट्रीय खेल परिसंघों को निष्पक्ष प्रबंधन कार्यपद्धतियां, जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, आयु और पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल प्रतिबंध, खेलों में सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, उचित लेखा प्रक्रिया, आयु धोखाधड़ी तथा महिलाओं के यौन-शोषण की रोकथाम और आदर्श चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव आयोजित कराने के लिए अधिदेशित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(ग) उन राष्ट्रीय खेल परिसंघों जिन्हें एक वर्ष में 1 करोड़ रु. से अधिक का अनुदान प्राप्त होता है, उनकी लेखाएं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन है।

*****